जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/142 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 28 अगस्त 2021

आखिर बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए, बिना फायर एनओसी के आवासीय भूखंड मे कैसे संचालित हो रही है होटल और रेस्टोरेन्ट-बार?

जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र मे चल रही होटल रंग महल का मामला!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र मे चल रही होटल रंग महल का मामला?

बिना जेडीए की अनुमति आवासीय भूखंड पर हो रही व्यवसायिक गतिविधि|

यह मामला जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र मे भूखंड संख्या C-39 हरिमार्ग,मालवीय नगर पर चल रही होटल रंग महल से जुड़ा हुआ है|जेडीए के ज़ोन1 मे आने वाली यह होटल बिना अनुमति,बिना भू-उपयोग करवाए,बिना पार्किंग और सेट बैक छोड़े आवासीय भूखंड पर संचालित की जा रही है|गौरतलब है कि यहा पर चल रहे होटल और बार मे देर रात तक होने वाली हुडदंगो और ट्रेफिक की समस्याओं से परेशान होकर बीते सालों मे इसकी स्थानीय निवासियों द्वारा कई शिकायते भी जेडीए प्रशासन से की गयी|लेकिन जेडीए की कार्यवाही केवल नोटिस देने तक ही सीमित रही|

बिना फायर एनओसी के चल रहा है यह होटल|अग्निशामन विभाग हादसो से बेखबर

जानकारो के अनुसार यह होटल बिना फायर एनओसी के संचालित किया जा रहा है|जिससे कभी भी यहा पर भीषण हादसा हो सकता है|लेकिन लगता है जयपुर नगर निगम ग्रेटर का अग्निशमन विभाग इससे बेपरवाह है|तभी तो बरसो से बिना फायर एनओसी चल रहे इस होटल/रेस्टोरेन्ट के खिलाफ आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की|

बिना फायर एनओसी और बिना भू-उपयोग करवाए आवासीय भूखंड पर कैसे दी आबकारी विभाग ने होटल/रेस्टोरेन्ट बार की अनुमति?

सबसे बड़ी बात यह है कि आबकारी विभाग द्वारा केवल उन्ही होटल/रेस्टोरेन्ट को बार लाइसेन्स जारी किया जाता है जो व्यवसायिक संपरिवर्तित हो|आवासीय भूखंड पर संचालित होटल/रेस्टोरेन्ट पर किसी भी सूरत मे बार लाइसेन्स जारी नहीं किया जा सकता|सूत्रों के अनुसार इस होटल के बेसमेंट और रूफ टॉप पर भी बार संचालित किया जा रहा है|जो कि नगरीय विभाग द्वारा जारी नियमों के विपरीत है|नगरीय विकास विभाग के अनुसार रूफ टॉप रेस्टोरेन्ट बार खोलने के मानदंड बनाए गए है,जिनका यह होटल कतई पालन नहीं कर रहा है|एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि नए आबकारी नियमों के अनुसार बिना फायर एनओसी के किसी होटल/रेस्टोरेन्ट बार लाइसेन्स को लाइसेन्स जारी नहीं किया जा सकता उसके बावजूद इस होटल मे चल रहा बार भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल है|

स्थानीय पुलिस की सरपरस्ती मे चल रहा हुक्का बार|

आपको बता दें कि इस होटल मे हो रही अनियमितताए यहीं खत्म नहीं होती,स्थानीय पुलिस के संरक्षण मे यहाँ पर बेरोकटोक हुक्का गुड़गुड़ते युवा भी देखने को मिल जाएंगे|आश्चर्य की बात यह है कि हरी मार्ग जैसी व्यस्त सड़क पर पुलिस चाक चोबन्द होकर दिन रात गश्त करती रहती है लेकिन उसके बावजूद आज दिन तक यहा पर चल रहे हुक्का बार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है|

क्या कार्यवाही की जाएगी इस अवैध होटल के विरुद्ध?

देखना यह है कि हमारे संज्ञान मे लाने के बाद क्या संबन्धित जिम्मेदार विभाग जेडीए,आबकारी,नगर नियम,पुलिस विभाग इस होटल के विरुद्ध कोई कार्यवाही करते है या फिर यह मामला भी इन विभागो की फाइलों मे दफन होकर रह जाता है|